संख्या-20/2025/1374/35-4-2024/35-4099/205/2023

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
अम्बेडकर नगर।

नियोजन अनुभाग - 4 लखनऊः दिनांक: 10 फरवरी, 2025

विषयः- त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत स्वीकृत राजकीय पॉलीटेक्निक टाण्डा, अम्बेडकर नगर की लागत पुनरीक्षित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा० मुख्य मंत्री जी की घोषणा के क्रम में जनपद-अम्बेडकर नगर के विधान सभा क्षेत्र टाण्डा में राजकीय पालीटेक्निक, दौलतपुर, हाजलपट्टी, टाण्डा, अम्बेडकर नगर के भवन निर्माण कार्य की त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-21/2020/260/35-4-2020 दिनांक 17 फरवरी, 2020 द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुये भवन निर्माण कार्य की अनुमोदित लागत रू0 1753.31 लाख (+जी०एस०टी० नियमानुसार देय) के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू0 200.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी। शासनादेश संख्या-31/2021/587/35-4-2021 दिनांक 04 मार्च, 2021 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में रू0 263.00 लाख, शासनादेश संख्या- 89/2022/230/35-4-2022 दिनांक 16 मार्च, 2022 द्वारा तृतीय किश्त के रूप में रू0 852.00 लाख एवं शासनादेश संख्या-853/2023/2637/35-4-2023/35-4099/205/2023 दिनांक 12 अक्टूबर, 2023 द्वारा चतुर्थ किश्त के रूप में रू0 438.31 लाख; इस प्रकार अद्यतन कुल धनराशि रू0 1753.31 लाख अवमुक्त की जा चुकी है।

2- निदेशक, प्राविधिक शिक्षा के पत्र संख्या-80135/ई-प्लान-भवन-टाण्डा-अम्बेडकर नगर दिनांक 12-01-2024 एवं कार्यदायी संस्था उ०प्र० राजकीय निर्माण नि०लि0 के पत्र सं0-1404/इकाई-21 लखनऊ/पॉलीटेक्निक/रानिनि/2024 दिनांक 09-01-2024 के क्रम में प्राविधिक शिक्षा विभाग की संस्तुति पर उक्त कार्य के अन्तर्गत नये कैम्पस में आवासों का निर्माण, अन्य विकास कार्य एवं मिटटी भराई तथा जी०एस०टी० की धनराशि (रू0 387.55 लाख) को सम्मिलित करते हुए रु0 3056.94 लाख (जी०एस०टी० सहित, देयता वास्तविकता के आधार पर) की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित विवरण, शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू० लाख में)

कार्य का नाम	अनुमोदित लागत	पुनरीक्षित लागत (जी0एस0टी0 सहित)
राजकीय पालीटेक्निक, दौलतपुर, हाजलपटटी, टाण्डा, अम्बेडकर नगर के भवन निर्माण कार्य।	1753.31 (+जी०एस०टी० नियमानुसार देय)	3056.94

1. प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
2. कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी जिलाधिकारी/ कार्यदायी संस्था की होगी तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय अवधि में ही पूर्ण हो जाये तथा भविष्य में प्रयोजना का कोई पुनरीक्षण स्वीकार नहीं होगा।
3. नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्रियेरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 04 मार्च, 2024 का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
6. उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 17 फरवरी, 2020, दिनांक 04 मार्च, 2021, दिनांक 16 मार्च, 2022 एवं दिनांक 12 अक्टूबर, 2023 की शर्ते यथावत लागू रहेगी।
7. कार्यों को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृति लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।
8. जिलाधिकारी द्वारा पुनरीक्षित/स्वीकृत आगणन के अनुसार कार्य हेतु कार्यदायी संस्था को कार्यकारी ओदश प्रदान किया जायेगा तथा कार्यकारी आदेश के साथ-साथ स्वीकृत आगणन की एक प्रति संस्था को उपलब्ध कराई जायेगी।
9. पुनरीक्षित आगणन में प्रस्तावित मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किए जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।
10. प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल आथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाय।
11. वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्गत परि पत्र 177/09/2022 TRU दिनाँक 03-08-2022 के अनुसार सिविल निर्माण कार्यों पर दिनांक 18-07-2022 से जी०एस०टी० की दर 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दी गयी, जिसके दृष्टिगत लागत के आंकलन हेतु दिनांक 31-12-2021 तक सम्पादित कार्यों की लागत पर 12 प्रतिशत एवं अवशेष कार्यों की लागत पर 18 प्रतिशत की दर से जी०एस०टी० अनुमन्य किया गया है। जी०एस०टी० की देयता वास्तविकता के अनुसार होगी तथा अपने स्तर से यह सुनिश्चित किया जाय कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी०एस०टी० सम्मिलित न हो।
12. प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रायोजनान्तर्गत फायर फाइटिंग सम्बन्धी कार्य नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुरूप हैं।
13. प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत् मानते हुए लागत का आंकलन किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना एव अन्य उच विशिष्टियाँ इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
14. परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास् ट ओवर रन न हो। अतः इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 (vii) में दिये गये निर्देशों का कडाई में अनुपालन मुनश्चित किया जायेगा।
15. अवमुक्त की गयी सम्पूर्ण धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र वर्तमान वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
16. जी०एस०टी० आदि की गणना की शुद्धता का उत्तरदायित्य जिलाधिकारी का होगा।
17. उक्त संदर्भति शासनादेश दिनांक 17-02-2020 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाये।

3- यह आदेश वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-5 के अशासकीय (कम्प्यूटर जनित) संख्या-E-5-203-X-2024-25 दिनांक 06 फरवरी, 2025 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय
राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव।

संख्या-20/2025/1374(1)/35-4-2024/35-4099/205/2023 /तददिनांक |

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उ०प्र०।
6- निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी।
7- मण्डलायुक्त, अयोध्या ।
8- निदेशक, प्राविधिक शिक्षा विभाग, कानपुर उ०प्र० ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

9- प्रबन्ध निदेशक उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम लि0, विश्वेसरैया भवन, विभूतिखण्ड गोमतीनगर, लखनऊ।
10- मुख्य विकास अधिकारी, अम्बेडकर नगर।
11-मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, अम्बेडकर नगर।
12-वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
13- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, अम्बेडकर नगर।
14- अपर परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, अंजीनियरिंग कालेज-इकाई, अकाई, अम्बेडकर नगर।
15- संयुक्त निदेशक, स्टेट ट्रांसफारमेशन कमीशन, नियोजन विभाग |
16-गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।